(ख) और (ग) प्रसार भारती की स्वयातता तथा इसकी क्षमता बढाने तथा प्रसार भारती और प्रसारण प्राधिकरण के बीच परस्पर व्यापन (ओवरलैप) को दूर करने के उद्देश्य से भी 29.10.97 को प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1997 के जरिए मुख्य अधिनियम में कतिपय संशोधन किये गए हैं जिन्हें एक अलग अधिनियम के जरिये इसके स्थान पर रखने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अत्यंत कम शक्ति वाले स्वचालित दूरदर्शन प्रसारण ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

736 **श्री दिलीप सिंह जूदवे**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अत्यंत कम शक्ति वाले प्रसारण केन्द्रों में से ऐसे कितने केन्द्र हैं जो स्वचालित हैं;

(ख) उन केन्द्रों का नाम क्या है जहां ऐसे स्वाचालित उपस्करों के रखरखाव और देखरेख के लिए एक भी कर्मचारी पदस्थ नहीं किया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किया गया है कि इन केन्द्रों के माध्यम से नियमित प्रसारण हो सके तथा किसी गड़वड़ी के मामले में इसकी सूचना किसी कर्मचारी के बिना कार्य कर रहे केन्द्रों से बहुत दूर पदस्थ इंजीनियरों को दी जा सके; और

(घ) प्रसारण वर्ष 1997 के दौरान, एक महीने से अधिक समय से उन प्रसारण केन्द्रों में से केन्द्रों के बन्द होने के लिए उत्तरदायी कारणों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) फिलहाल कर्मचारी रहित प्रतिष्ठानों के रूप में स्वत: प्रचालन हेतु बनाए गए 173 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर देश में प्रचालन में है। इन अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के कार्य निष्पादन की जांच करने के लिए आवधिक रूप से दौरे किए जाते हैं और जहां कहीं दोष पाए जाते हैं, उन्हें दूर किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित जिला प्राधिकारियों/गांव पंचायतों से अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के अव्यवस्थित कार्यकरण की शिकायतें भी मिलती रहती हैं और उन पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है। तथापि, खराब मौसम संबंधी परिस्थितियों, पहाडी इलाकों और संबंधित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा समीपवर्ती अनुक्षण केन्द्र के बीच अधिक दूरी के कारण दोषों को दूर करने में कुछ समय कभी कभी एक महीने से भी अधिक समय लग जाता है।

Cultural invasion through Electronic Media

737. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is a cultural invasion through the electronic media, eroding the ethical values of India; and

(b) if so, the measures Government contemplate to prevent such harmful invasion and to protect the unique cultural values of our country?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) A large number of foreign satellite TV channels, beaming their programmes over Indian sky from outside the country are being received all over country either through individual dish antennae or through cable operators. The adverse impact of these TV programmes on the Indian values and culture has been a subject matter of public debate in different for a including Parliament.

(b) Government have already introduced a Broadcasting Bill in the Parliament, which among other things, seeks to regulate the foreign satellite channels and taring them within the ambit of Indian laws and regulations including a broadcasting code. The Bill has been referred to a Joint Select Committee of Parliament.

स्वास्थ प्रसारण निगम के अन्तर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्तर तथा गणवत्ता में सुधार

738. **श्री धीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रसार भारती अधिनियम लागू हो जाने के बाद स्वाक्त प्रसारण निगम द्वारा निर्मित और प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता और स्तर में अपेक्षित सुधार होगा;